एबल (ABLE) अधिनियम

2014 में पारित एबल (ABLE) अधिनियम अशक्तताओं के साथ जी रहे लोगों के लिए टैक्स-फ़्री बचत खातों का समर्थन करता है।

प्र: एबल (ABLE) अधिनियम क्या है?

एक बेहतर जीवन अनुभव की प्राप्ति (अचीविंग अ बेटर लाइफ़ एक्सपीरिएंस, ABLE) अधिनियम एक संघीय कानून है जो पात्र अशक्त लोगों को टैक्स-फ़्री बचत खाते खोलने की अनुमति देता है। इस खाते के धन का उपयोग वित्तीय बोझ से राहत के लिए अशक्तता-संबंधी व्ययों जैसे शिक्षा, आवास, और परिवहन आदि के लिए किया जा सकता है। खाते की परिसंपत्तियों को, संघीय लाभ कार्यक्रमों के लिए व्यक्ति की पात्रता में नहीं गिना जाता है।

प्र: कौन एबल (ABLE) खाता खुलवा सकता है?

26 वर्ष की आयु से पहले अशक्त हुए और, पूरक सुरक्षा आय (सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम) या सामाजिक सुरक्षा अशक्तता बीमा (सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस) पाने की शर्तें पूरी करने वाले लोग किसी भी समय एबल (ABLE) खाता खोल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि 2026 मेें अशक्तता के आरंभ की आयु बढ़ाकर 46 कर दी जाएगी।

अशक्त व्यक्ति इस खाते का नामित लाभार्थी और स्वामी होता है। यदि व्यक्ति स्वयं खाता खोलने या व्यय संबंधी निर्णय स्वयं लेने में असमर्थ है, तो पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के साथ कोई एजेंट उसकी ओर से ये कार्य कर सकता है; यदि पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी वाला कोई एजेंट नहीं है, तो माता/पिता या कानूनी संरक्षक व्यय संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

प्र: एबल (ABLE) खाते के टैक्स लाभ क्या हैं?

एबल (ABLE) अधिनियम का लक्ष्य अशक्तता से जुड़े कुछ वित्तीय बोझों को हल्का करके अशक्तता से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य, जीवन गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता कायम रखने व और बेहतर बनाने में मदद करना है।

एबल (ABLE) खाते की परिसंपत्तियों और कमाई पर तब तक टैक्स नहीं लगता जब तक उन्हें केवल योग्य अशक्तता-संबंधी व्ययों में खर्चा जा रहा है। (जिस भी धनराशि का उपयोग गैर-अशक्तता संबंधी व्ययों में होगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा और संघीय टैक्स पेनल्टी लगेगी।)

प्र: एबल (ABLE) खाता कैसे खोला जा सकता है?

एबल (ABLE) कार्यक्रम इस समय 46 राज्यों में प्रभावी हैं; व्यक्ति केवल अपने निवास राज्य में ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य में खाता खोल सकता है। सभी एबल (ABLE) खाते राज्य कार्यक्रम वेबसाइटों के ज़रिए ऑनलाइन खोले जा सकते हैं।

कार्यक्रम पर निर्भर करते हुए, एबल (ABLE) खातों में अलग-अलग निवेश विकल्प मिलेंगे, जिनमें म्यूचुअल फ़ंड और मनी मार्केट फ़ंड शामिल हैं। लोग चेकिंग (चालू खाते) या सेविंग (बचत खाते) विकल्पों में भी पैसे रख सकते हैं। चुने गए निवेश विकल्प वर्ष में दो बार बदले जा सकते हैं।

एबल (ABLE) नेशनल रिसोर्स सेंटर की वेबसाइट (https://www.ablenrc.org/compare-states/), जो नेशनल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित और प्रबंधित है, में एक खोज सुविधा है जिससे लोगों को विभिन्न एबल (ABLE) खाता विकल्पों की पहचान और तुलना करने में मदद मिलती है।

प्र: कार्यक्रम चुनते समय मुझे किन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए?

- क्या इन-स्टेट अकाउंट (राज्य-में खाता) खोलने का कोई लाभ है?
- खाते के साथ कौनसे संभावित सेवा व रखरखाव शुल्क जुड़े होते हैं?
- क्या खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि आवश्यक है?
- यदि कोई विशेष खाता शेष बनाए रखा जाए तो क्या शुल्क माफ़ हो जाएगा?

प्र: क्या एबल (ABLE) खातों पर कोई सीमाएँ लागू हैं?

पात्र व्यक्ति केवल एक एबल (ABLE) खाता खोल सकता है।

2023 में, एबल (ABLE) खाते में कुल वार्षिक अंशदान की सीमा $17,000 है जिसमें परिजनों और दोस्तों

के अंशदान शामिल हैं; जिन एबल (ABLE) खाताधारकों के पास रोज़गार है वे 2026 तक अपने खाते में वार्षिक अंशदान सीमा के बाद भी आय का अंशदान कर सकते हैं बशर्ते वे अपने नियोक्ता की सेवानिवृत्ति योजना में भाग न लें। (आय-संबंधी अंशदान, एक व्यक्ति वाली गृहस्थी के लिए पिछले वर्ष की निर्धारित संघीय निर्धनता रेखा से अधिक नहीं हो सकते हैं: 2022 में यह राशि महाद्वीपीय अमेरिका में $13,590, अलास्का में $16,990, और हवाई में $15,630 थी।)

प्र: क्या एबल (ABLE) खाता खोलने से मेरे सरकारी लाभ प्रभावित होंगे?

एबल (ABLE) खाते सरकारी लाभों के पूरक के तौर पर पेश किए गए हैं, उनका स्थान लेने के लिए नहीं।

जब तक एबल (ABLE) खाते में मौजूद राशि $100,000 से अधिक नहीं हो जाती, तब तक सरकारी लाभ प्रभावित नहीं होंगे। यदि खाता शेष $100,000 से अधिक हो जाता है, तो पूरक सुरक्षा आय (सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम) लाभ स्थगित कर दिए जाते हैं, पर मेडिकएड (Medicaid) पात्रता अप्रभावित रहती है।

प्र: एबल (ABLE) खातों में मौजूद धन को टैक्स पैनल्टी के बिना कैसे खर्चा जा सकता है?

एबल (ABLE) खातों में मौजूद धन का उपयोग ऐसी किसी भी योग्य सेवा के लिए किया जा सकता है जो लकवे के साथ जी रहे लोगों की आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, और जीवन गुणवत्ता में सहारा देती हो, जैसे शिक्षा, आवास, परिवहन, रोज़गार प्रशिक्षण और सहायता, सहायक टेक्नॉलजी, वित्तीय प्रबंधन, बुनियादी जीवन-यापन व्यय, स्वास्थ्य, रोकथाम एवं खुशहाली कार्यक्रम, और अंतिम संस्कार के व्यय।

प्र: लाभार्थी की मृत्यु होने पर एबल (ABLE) खाते में मौजूद धन का क्या होता है?

यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते के धन को अंतिम संस्कार के व्ययों में और, योग्य अशक्तता व्ययों के जो भी बकाया बिल हों उन्हें चुकाने में खर्चने के लिए किसी उत्तरजीवी लाभार्थी को नामित किया जा सकता है। कुछ राज्य, लाभार्थी को मिले मेडिकएड (Medicaid) लाभों के भुगतान को वापस पाने के लिए, खाते में जो भी धन शेष रहे उस पर दावा कर सकते हैं।

स्रोत: इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, एबल (ABLE) नेशनल रिसोर्स सेंटर, यू.एस. सिक्यॉरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, यू.एस. सोशल सिक्यॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन।

किसी से बात करनी है?

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे (ईटी समयानुसार) तक टोल फ़्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें। या https://link.edgepilot.com/s/b492418f/V5xz-cvHCUG5wv7MCAAFRg?u=https://connect.paralysis.org/hi/send-us-your-question पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पूछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $87,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को दर्शाती हों।